

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 99]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 फरवरी 2022—फाल्गुन 9, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2022

क्र. एफ-3-3-2019-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37, सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर एतद्वारा श्री गोविन्द सिंह चौहान, सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर को दिनांक 17 जून 2022 से 27 जून 2023 तक (70 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक) पुनः 01 वर्ष की अवधि तक के लिये संभागीय सतर्कता समिति, जबलपुर में सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.